

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केबलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पीधशाला, भरतपुर - 321001 (राज.)

फोन : 05644-226017, 227518 ई-मेल : ccf.bhp.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ ()एफसीए/मुवसंभ/2021-22/ 1430
निमित्त,

दिनांक
16/3/2022

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए),
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 248.5515 ha. Of forest Land in favour of DMG, Rajasthan in Paharpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. (FP/RJ/MIN/149012/2021)

संदर्भ:- आपका ईडीएस F 14(Mining)2021/FCA/EDS-3 Dated 22.02.2022 व उप वन संरक्षक, भरतपुर का पत्रांक 1507 दिनांक 12.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में आपके संदर्भित ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 22.02.2022 से प्राप्त आक्षेपों की निम्नानुसार पूर्ति कर उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 12.03.2022 से प्रस्ताव ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित किया है :-


S.No.	Stipulated EDS	Compliance
1.	प्रस्ताव में पार्ट-1 में पैरा-1 में वन्यजीव स्वीकृति की जानकारी में प्रस्ताव वन्यजीव अभयारण्य/नेशनल पार्क/ईको सेंसिटिव जोन में नहीं होना अवगत कराया गया था, परन्तु उप वन संरक्षक की Site inspection report एवं Recommendation में 15.30 है0 वन क्षेत्र बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य का होना अवगत कराया गया है। ESZ क्षेत्र में खनन गतिविधियां संभव नहीं है। अतः इस क्षेत्र को कम कर प्रस्ताव संशोधित किया जाना अपेक्षित है, इस बावत् मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर की टिप्पणी भी ली जानी उचित रहेगी।	बंध बारैठा अभयारण्य के ईको सेंसिटिव क्षेत्र में संशोधन हेतु प्रस्ताव अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर के स्तर पर भिजवाये जा चुके है। उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा अवगत कराया है कि यूजर एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत KML अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र संशोधन हेतु भिजवाये गये ईको सेंसिटिव जोन में नहीं पडता है।
2.	उप वन संरक्षक द्वारा पेड़ों की गणना 12023 दी गई है, इनमें से कितने पेड़ों को काटा जाना है तथा कितने पेड़ों को Retain किया जाना है, की अलग-अलग सूची दी जानी अपेक्षित है, दस्तावेज पर उप वन संरक्षक की सील व हस्ताक्षर नहीं है।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत करवाया गया है कि 0 से 30 सेमी. तक के लगभग 6381 व 31 से 60 सेमी. लगभग 3900 तथा 61 से 90 सेमी. के लगभग 500 कुल 10781 पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित है। प्रति संलग्न

3	248.5515 है0 NFL के विरुद्ध उप वन संरक्षक द्वारा 646.96 है0 की KMI दी गई है इरामें से 248.5515 है0 की KMI दी जानी है	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा 248.5515 है0 की KML अपलोड कर दी गई है।
4	CA NFL की KMI अरपष्ट है।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा CA NFL की KML पुनः अपलोड कर दी गई है।
5	उप वन संरक्षक द्वारा CA Scheme 13(iv) में NA लिखा है, जो गलत है।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा त्रुटि राही कर CA Scheme पुनः अपलोड कर दी गई है।
6	NFL नोटिफिकेशन का जो दस्तावेज अपलोड किया है उस पर सील व हस्ताक्षर नहीं है।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा NFL नोटिफिकेशन पर सील व हस्ताक्षर कर अपलोड कर दिया गया है।
7	NFL भूमि की Google image देखे जाने पर स्पष्ट होता है कि उस पर 1000 पौधे प्रति है0 लगाया जाना उचित नहीं है। अतः NFL में रोपित किये जा सकने वाले संभावित पौधों के उपरान्त बचने वाले पौधे DFL क्षेत्र में प्रस्तावित किये जाने अपेक्षित है।	248.5515 ha. NFL Area rocky and refractory nature का होने के कारण इसमें 200 पौधे प्रति है0 लगाया जाना ही संभव है। अतः उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा शेष पौधे लगाने हेतु 300 है0 CA DFL के प्रस्ताव तैयार कर अपलोड कर दिये गये है।
8	नोटिफिकेशन नाम से अपलोड किया गया दस्तावेज नहीं खुल रहा है	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा पुनः अपलोड कर दिया गया है।
9	बंध बारैठा अभयारण्य के नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है। अपलोड नहीं है।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा बंध बारैठा अभयारण्य का नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है।
10	Safety Zone की गणना नहीं दी गई है।	Safety Zone की गणना कर दी गई है।

उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा प्रस्ताव की छः हार्ड प्रतियां उपरोक्तानुसार सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न कर श्रीमान के कार्यालय में दिनांक 15.03.2022 को प्रस्तुत कर दी गयी हैं।

अतः उक्तानुसार आक्षेप पूर्ति उपरांत प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु ऑनलाईन प्रेषित है।

भवदीय


(टी0 सी0 वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

OFFICE OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, BHARATPUR

SITE INSPECTION REPORT

(For the Forest land to be diverted under FCA, 1980)

Proposal Name –“Diversion of 248.5515 Hac. Forest Land of Block A and B Paharpur Tehsil -Roopwas, Dist. Bharatpur.”

Proposal No.- FP/RJ/MIN/149012/2021

Total Forest area / Forest Land proposed for diversion - 248.5515 hectare.

District- Bharatpur

A proposal has been received by this office from Assistant Mining Engineer Roopwas, Mining Department, Bharatpur, Rajasthan after recommendation of Deputy Conservator of Forests, Bharatpur for diversion (under FCA, 1980) of 248.5515 Hac. of Forest Land in Block A and Block B Paharpur Tehsil- Roopwas, Range-Bandh Baretha, Dist- Bharatpur for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for mining purpose.

The Site Inspection of the forest land involved in the proposal has been done by me on Dated 16.02.2022.


The requirement of forest land 248.5515 hac. as proposed by the user agency in col. B of part -I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

No rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the proposed area.

Area dose not have any protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monument.

The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980.

Signature



(T. C. Verma)

Chief Conservator of Forests,
Bharatpur

Date- 16.02.2022

Place- Bharatpur

OFFICE OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, BHARATPUR

PART-III

(To be filled by the concerned Chief Conservator of Forests)

Site Specific Observations & Recommendations of CCF

Proposal Name –“Diversion of 248.5515 Hac. Forest Land of Block A and B Paharpur Tehsil -
Roopwas, Dist. Bharatpur.”

Proposal No.-FP/RJ/MIN/149012/2021

Forest area / Land proposed for diversion- Total 248.5515 Hectare

District-Bharatpur

Forest Division-Bharatpur

1. Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Chief Conservator of Forest (Yes/No). If yes the date of site inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.

Yes, Site Inspection Report enclosed.

2. Whether the concerned Chief Conservator of Forest agree with the information given in Part-B and the recommendations of Deputy Conservator of Forest.

Yes, Agreed

3. Specific recommendations concerned Chief Conservator of Forest for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.

“This proposal includes 248.5515 ha. of Bansi pahadpur block in addition to the already in process 398.0085 hac. diversion proposal and this leads to diversion of whole Bansi Pahadpur block i.e. 646.56 ha. This project looks quite useful and necessary for government and public welfare in the region and also legal mining will be started in these areas which were highly sensitive for illegal mining. This project can become a flagship project as far as balancing development and environment considerations are concerned. Hence, considering the larger good and overall benefits to the state and society, the project is recommended and the proposal may be sanctioned for mining purpose.”

(Signature)



(Tikam Chand Verma)
Chief Conservator of Forests
Bharatpur